

२०१४/१५

पत्रवली प्रार्थी गौछिन्दराम झा मिश्र वस्ती  
 का आवेदन पत्र को जहाँ जहाँ प्रस्तुत है। प्रार्थी  
 ने आवेदन प्रस्तुत कर विवेक विधि के  
 परामर्श के अधीन कानूनी राजीनामा दे  
 चुका है। यदि कोई कारण यथागत नहीं  
 पाया है। तब विद्वान् कानून की दृष्टि से  
 प्रार्थी को ही प्रत्यक्ष अधिकार नहीं है।  
 सुरेन्द्रपाल चामल झा को नहीं कर, कर,  
 कर के विवेकानुसार कर कर के विधि  
 विधि का है। कर के विधि का है। मिश्र  
 के नाम प्रस्तुत है। नंबर के कर के

गौछिन्दराम झा

५६/१/११/१५  
 २०/१/१५

(सुरेन्द्रपाल चामल)

उपखण्ड अधिकारी  
 बांसारामगढ़